

New HT / Industrial Electricity Connection Application

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

नई उच्च-दाब (HT) या औद्योगिक बिजली कनेक्शन के लिए अनुबंध-मांग (contract demand) व संयोजित भार (connected load) की गणना और DISCOM प्रक्रिया आवश्यक है। यह टूल भार निकालता, प्रक्रिया व अवसंरचना (ट्रांसफार्मर, फीडर) मानचित्रित करता, और तकनीकी व स्वामित्व दस्तावेज़ जुटाता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

नई HT/औद्योगिक बिजली कनेक्शन आवेदन — भार-गणना, दस्तावेज़ व DISCOM प्रक्रिया सहित — तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

गणना की अनुबंध-मांग व संयोजित भार और मानचित्रित DISCOM प्रक्रिया का उपयोग नई HT/औद्योगिक कनेक्शन आवेदन दाखिल करने, feasibility व अनुमान पाने, और अवसंरचना (ट्रांसफार्मर, फीडर) व अनुबंध चरण पूरे कर ऊर्जीकरण तक ले जाने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

आपकी विद्युत वितरण कंपनी (DISCOM) — HT कनेक्शन स्वीकृत करने वाला मंडल/सर्कल कार्यालय ; संस्थापन अनुमोदन हेतु CEIG/विद्युत निरीक्षक।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

DISCOM पर या ऑनलाइन भार-आवश्यकता, स्थल व स्वामित्व दस्तावेज़ व लेआउट सहित आवेदन करें; अनुमान/सुरक्षा जमा भरें, CEIG संस्थापन अनुमोदन लें, अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, और ऊर्जीकरण कराएँ।

शुल्क और खर्च

आवेदन/प्रसंस्करण शुल्क, सुरक्षा जमा और लागत-अनुमान (सर्विस लाइन, ट्रांसफार्मर) DISCOM टैरिफ/शुल्क-अनुसूची अनुसार ; राज्य व भार पर भिन्न।

इसकी जाँच किससे कराएँ

विद्युत ठेकेदार/सलाहकार — अनुबंध-मांग व संयोजित भार निकालने, single-line diagram बनाने, और CEIG अनुमोदन पाने के लिए।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

भार-आधार, वोल्टेज स्तर व अवसंरचना लागत अनुमान व समय-सीमा तय करते हैं; कम या अधिक बताया भार आगे महंगा संशोधन कराता है। आवेदन से पहले DISCOM की वर्तमान शुल्क-अनुसूची व CEIG आवश्यकता सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।